



# श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

जोबनेर, जिला जयपुर (राजस्थान) 303329

फोन नं. 01425-254022(का.), 01425-254022 (फैक्स)

क्रमांक : एफ.( )सीएस/ई-बिड़/श्रीकनकृमवि/2024/1435

दिनांक : 25-9-2024

## ई-बिड़ सूचना

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के नवनिर्मित गर्ल्स छात्रावास, अन्य छात्रावास अतिथि गृह एवं एससी/एसटी छात्रावास हेतु फर्नीचर ई-बिड़ प्रपत्र वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है एवं [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) और [www.sknu.ac.in](http://www.sknu.ac.in) देखा जा सकता है। ई-बिड़ प्रपत्र शुल्क राशि 1000/- धरोहर राशि 80000+28000=1,08,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक अधिष्ठाता (DEAN), श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के पक्ष में तथा MD, RISL, JAIPUR Fees 1500/- बनाकर दिनांक 04.10.2024 समय दोपहर 02.30 बजे तक अपलोड करवाना एवं अधिष्ठाता कार्यालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में जमा करवाना होगा एवं दिनांक 07.10.2024 को प्रातः 11.00 बजे ई-बिड़ समिति द्वारा खोली जावेगी।

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित राशि (₹ लाखों में)	ई-बिड़ प्रपत्र शुल्क (₹)	RISL, Fees (₹)	बिड़ सिक्योरिटी 02 प्रतिशत	ई-बिड़ प्रकाशित करने की तिथि	प्री-बिड़ मीटिंग	ई-बिड़ प्रपत्र ऑनलाईन भरने की तिथि	ई-बिड़ प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय	ई-बिड़ प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय
1	फर्नीचर क्रय हेतु	40.00	1000.00	1500.00	80000.00	25.09.2024	26.09.2024 02:00 बजे	26.09.2024 05:00 बजे से	04.10.2024 02.30 PM तक	07.10.2024 11.00 AM
2	ईलेक्ट्रिक आईटम क्रय हेतु	14.00	1000.00	1500.00	28000.00	25.09.2024	26.09.2024 02:00 बजे	26.09.2024 05:00 बजे से	04.10.2024 02.30 PM तक	07.10.2024 11.00 AM

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- वित्त नियंत्रक, श्री क.न. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि वह स्वयं/प्रतिनिधि ई-बिड़ खोलने के समय उपस्थित होने का श्रम करे।
- प्रभारी, सिमका, श्री क.न. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस ई-बिड़ को <http://eproc.rajasthan.gov.in>, [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.sknu.ac.in](http://www.sknu.ac.in) पर Upload करवाना सुनिश्चित करावें।
- श्रीमान् संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, श्री क.न. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
- श्रीमान् आहरण वितरण अधिकारी/कैशियर श्री क.न. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
- श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, श्री क.न. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
- नोटिस बोर्ड (नगर पालिका/नया बाजार/जोरपुरा), जोबनेर।

अधिष्ठाता



# श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

जोबनेर, जिला जयपुर (राजस्थान) 303329

फोन नं. 01425-254022(का.), 01425-254022 (फैक्स)

क्रमांक : एफ.( )सीएस/ई-बिड़/श्रीकनकृमवि/2024/

दिनांक :

प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड़

ई-बिड़जमा कराने

की अन्तिम तिथि -04.10.2024

समय: 02.30 बजे तक

## फर्नीचर/ईलेक्ट्रिक आईटम के लिए दर संविदा कराने हेतु ई-बिड़ प्रपत्र

1. फर्नीचर के लिए ई-बिड़:-
2. ई-बिड़ प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, .....  
डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाईल व ई-मेल सहित .....
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर .....
4. किसको संबोधित किया गया -अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।
5. ई-बिड़ सूचना संदर्भ एफ.( )सीएस/ई-बिड़/श्रीकनकृमवि/2024/ .....दिनांक.....
6. बिड़ प्रपत्र शुल्क की निर्धारित राशि 1000/-, बिड़प्रतिभूति राशि 80000+28000=108000/-का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक अधिष्ठाता (DEAN) श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के पक्ष में एवं RISL प्रोसेसिंग फीस राशि 1500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक M.D., RISL, Jaipur के पक्ष में देय होगा का बैंकर चैक/डी.डी. संलग्न है।
7. हम अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, जयपुर द्वारा जारी की गई ई-बिड़ सूचना संख्या ..... दिनांक ..... में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त बिड़ सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
8. बिड़प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब' में फर्नीचर संबंधी दरें सभी करें व आनुषंगिक प्रभारों सहित अंकित है। जीएसटी की दरें पृथक् से दर्शाई जानी है।
9. फर्नीचरकी आवश्यकतानुसार आपूर्ति अंतिम पूरफ अनुमोदन/कार्यादेश दिनांक से 07 दिवस की अवधि में कर दी जाएगी। महाविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति अवधि में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

181

10. फर्नीचर हेतु प्रपत्र 'ब' में दी गई दरें अनुमोदन की तिथि से तीन माह तक के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, तथा फर्नीचर की छात्रावासों में महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार आपूर्ति ली जाएगी।
11. ई-बिड़ प्रपत्र के साथ जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा जीएसटी चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है।
12. विनिर्माता/डीलर आदि होने का घोषणा पत्र (प्रपत्र-'स') संलग्न है।
13. टर्न ओवर प्रमाण पत्र (प्रपत्र-'द') संलग्न है।
14. Price fall clause प्रमाण पत्र (प्रपत्र-'य') संलग्न है।
15. पूर्व में फर्नीचर आपूर्ति कार्य/समान प्रवृत्ति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र (प्रपत्र-'व') संलग्न है।
16. Annexure A B C & D संलग्न है।



बिड़दाता के हस्ताक्षर मय मोहर

फर्नीचर/ईलेक्ट्रिक आइटम के लिए निर्धारित अन्य तकनीकी शर्त :-

1. बिड़ सूचना में प्रकाशित सभी शर्तें इस बिड़ का भाग मानी जाएगी।
2. केवल बिड़ फार्म के साथ संलग्न प्रपत्र-‘ब’ में ही बिड़दाता अपनी दरें दर्शाएँ। महाविद्यालय के प्रोफार्मा के अतिरिक्त अन्य प्रोफार्मा में दी गई दरें मान्य नहीं होंगी। प्रपत्र-‘ब’ में दी गई दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट निर्धारित प्रोफार्मा में अंकित कर दी गई है। इसमें कोई कॉट छॉट (Over writing) नहीं होगी।
3. तकनीकी बिड़ के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-
  - I. बिड़ प्रपत्र शुल्क राशि 1000/- का बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट (विश्वविद्यालय वेबसाईट [www.sknu.ac.in](http://www.sknu.ac.in), [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) or <http://eproc.rajasthan.gov> से बिड़ प्रपत्र डाउनलोड करने पर)
  - II. बिड़ प्रतिभूति राशि ...../-का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक अधिष्ठाता (DEAN), श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के पक्ष में एवं **RISL** प्रोसेसिंग फीस राशि 1500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक **M.D., RISL, Jaipur** के पक्ष में देय होगा का बैंकर चैक/डी.डी. संलग्न करना होगा।
  - III. नवीनतम एवं वैध GST चुकता प्रमाण पत्र एवं आयकर पेनकार्ड की प्रमाणित छाया प्रति।
  - IV. यदि फर्म लघु उद्योग इकाई है तो प्रचलित नियमों के अनुसार सक्षम विभाग/अधिकारी द्वारा जारी लघु उद्योग इकाई का प्रमाण पत्र निर्धारित संलग्न प्रारूप (प्रपत्र -‘र’) में शपथ-पत्र भी संलग्न करना है।
  - V. फर्म के लैटर पैड पर विनिर्माता/अधिकृत विक्रेता आदि का घोषणा पत्र (संलग्न प्रारूप प्रपत्र ‘स’ में)
  - VI. बिड़दाता यदि फर्म/कम्पनी है तो अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो इस बिड़ के लिए विशेष रूप से फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत किया गया है। उसका नाम, पता तथा फर्म/कम्पनी में उसकी स्थिति (Status) का उसके हस्ताक्षर प्रमाणित करते हुए स्पष्ट उल्लेख करेगा। महाविद्यालय अन्य किसी से इस संबंध में सम्पर्क नहीं करेगा।
  - VII. फर्म के फर्नीचर के क्रय संबंधी कार्यों के पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) का औसत टर्न ओवर राशि 40.00 लाख या अधिक होना आवश्यक है। साक्ष्य हेतु बिड़ दाता फर्म द्वारा संबंधित वर्ष के प्रमाणित लेखे यथा लाभ-हानि खाता, ऑडिटेड बैलेन्स शीट आदि की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएँ। वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र (प्रपत्र -‘द’) अंकेशक/सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित।
  - VIII. Price fall clause प्रमाण पत्र (प्रपत्र -‘य’)।
  - IX. पूर्व में फर्नीचर के सामान प्रवृत्ति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र (प्रपत्र -‘व’)।
  - X. फर्म/कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय होने का प्रमाण-पत्र मय कार्यालय का पता, दूरभाष एवं सम्पर्क सूत्र प्रतिनिधि का नाम एवं मोबाइल नम्बर।
  - XI. फर्म को फर्नीचर हेतु वित्तीय बिड़ में आपूर्ति किए जाने वाले फर्नीचर में काम आने वाली लकड़ी/लोहे के Brand/Make का उल्लेख करना होगा तथा संबंधित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।



उक्तानुसार आवश्यक दस्तावेजो/प्रमाण पत्रों का क्रम व्यवस्थित रूप में (I) से (XI) के अनुसार हो।

4. GST के अतिरिक्त महाविद्यालय द्वारा कोई भी कर, चुंगी, उत्पाद शुल्क (Excise Duty), Cess आदि देय नहीं होगा। जीएसटी की दरों में परिवर्तन होने पर तदनुसार ही सामग्री की दरें संशोधित की जाएगी।
5. तकनीकी योग्यता नहीं रखने वाली फर्मों की वित्तीय बिड़ किसी भी परिस्थिति में नहीं खोली जाएगी। तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर महाविद्यालय की तकनीकी समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उस फर्म की तकनीकी बिड़ को रद्द किया जा सकेगा तथा बोली प्रतिभूति (Bid Security) जब्त की जा सकेगी।
6. राजस्थान की लघु उद्योग इकाइयों से कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) आदेशित मात्रा के मूल्य की 1.0 प्रतिशत ली जाएगी अतः यदि फर्म लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत है तो फर्म को तकनीकी बिड़ के साथ वे उन सामानों के संबंध में, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग इकाइयों के पंजीयन हेतु प्रचलित नियमों के अनुसार दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित संलग्न प्रारूप (प्रपत्र -'र') में शपथ-पत्र भी संलग्न करना है।
7. राजस्थान के बाहर की फर्मों तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम/राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, राजस्थान सरकार के नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान (Price Preference) की हकदार नहीं है, द्वारा बिड़दत्त दरों की तुलना राजस्थान सरकार के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत की जाएगी।
8. मूल्य अधिमान/अधिमान, राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमान) नियम, 1995 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं समय-समय पर संशोधनों अनुसार दिया जाएगा।
9. बिड़ उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह (90 दिवस) की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
10. परीक्षणों के मामले में, बिड़दाता द्वारा महाविद्यालय की विभिन्न इकाइयों पर आपूर्ति किए गए फर्नीचर में से एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में आवश्यकता होने पर प्रेषित किया जा सकता है तथा शेष सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किए जाएंगे।
11. फर्म को फर्नीचर की आवश्यकतानुसार आपूर्ति कार्यादेश/क्रयादेश के अनुसार निर्धारित अवधि में पूर्ण करनी होगी। सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि होने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार परिनिर्धारित क्षति (LD) की राशि फर्म को देय राशि में से काटी जाएगी। यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि फर्म को सामग्री की आपूर्ति श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर जिस शाखा/विभाग/कार्यालय का आदेश प्राप्त होता है। उस कार्यालय में ही FOR करना होगा।

12. फर्नीचर की बिड़ एवं कार्यादेश/क्रयादेश की शर्तों के अनुसार आपूर्ति पूर्ण करने पर प्रस्तुत बिलों का भुगतान सम्बन्धित इकाई द्वारा एक माह में किया जाएगा। किन्तु यदि किसी विशेष परिस्थिति में एक माह से अधिक समय लगता है तो उस दशा में फर्म को भुगतान योग्य राशि पर किसी प्रकार का ब्याज या अन्य प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा।
13. लकड़ी, कलर, विद्युत, पानी, डीजल, पेट्रोल व अन्य किसी मद की दरों में वृद्धि होने पर फर्म को कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
14. फर्म को आदेशित सामग्री की आपूर्ति विभिन्न निर्धारित लकड़ी एवं साईज में ही निर्धारित स्फेशिफिकेशन के अनुसार करनी होगी। इससे लकड़ी एवं साईज आदि में कमी पर नियमानुसार अनुपातिक राशि बिल में से काटी जाएगी। आपूर्ति के मापदण्डों में सारभूत परिवर्तन किये जाने पर महाविद्यालय को आपूर्ति अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं फर्म के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी संपादित की जा सकेगी।
15. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कार्यादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने, महाविद्यालय में स्वीकार करने एवं सामग्री का आवश्यकता होने पर नियमानुसार प्रयोगशाला परीक्षण करवाने के बाद ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
16. बिड़ प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति (Bid Security) के अभाव में बिड़ पर विचार नहीं किया जाएगा एवं बिड़ अस्वीकृत कर दी जाएगी।
17. सफल बिड़दाता को अनुबंध राशि की 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जमा करानी होगी। राजस्थान की एसएसआई यूनिट को कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) अनुबंध राशि का 1 प्रतिशत मूल्य देना होगा तथा महाविद्यालय के साथ कार्य सम्पादन के संबंध में नियमानुसार राशि (Rs) के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर स्वयं के खर्च पर करार (Agreement) भी करना होगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक से रूप में जमा कराई जा सकती है तथा कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) की राशि 10.00 लाख से अधिक होने की स्थिति में बैंक गारन्टी स्वीकार्य होगी।
18. वित्तीय बिड़ में सफल निविदा दाता को आइटम (Items) का एक-एक सैंपल महाविद्यालय में उपापन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, समिति द्वारा सैंपल को दिये गये मापदण्ड एवं गुणवत्ता (Specification and Quality) की जांच कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही दर अनुमोदन आदेश/कार्यादेश दिया जावेगा।
19. बिड़ फार्म में किसी प्रकार की काँट छाँट व ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का संशोधन अस्वीकार्य होगा।
20. बातचीत केवल अपवादिक परिस्थितियों में ही बिड़कारों से प्रचलित नियमों के अनुसार की जाएगी। जहाँ रिंग मूल्य उद्धरित किए गए हो या दरें अत्यन्त विचारणीय हो और क्रय समिति द्वारा प्रचलित बाजार दरों से अत्यधिक ऊँची समझी जाए। बातचीत के पश्चात भी यदि प्रतिस्पर्धात्मक या उचित और युक्तियुक्त दरें प्राप्त नहीं होती है तो क्रय समिति बिड़ को नांमजूर करने व पुनः आमंत्रित करने का विनिश्चय कर सकती है।
21. किसी भी बिड़ को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, जयपुर को होगा।



22. निर्धारित समय में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अन्तर्गत नियमानुसार परिसमापित नुकसानी (Liquidated Damage) राशि 2.5% से 10% वसूल की जाएगी (बिड़प्रकाशन की वास्तविक अवधि को दृष्टिगत रखते हुए)। यदि परिसमापित क्षति के साथ सुपुर्दगी की विभिन्न आदेशों में लिखित अवधि में वृद्धि की हो तो प्रदाय नहीं किए गए कार्यों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:—

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिए 5.0%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए 7.5%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

टिप्पणी :-

1. सामग्री नियत तिथि तक उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।
2. विलम्ब की अवधि आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।
3. स्वीकार की गई निर्धारित परिसमापित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।
22. सफल बिड़दाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री प्रदान करने में असफल रहने पर अथवा कार्य संतोषजनक नहीं करने पर अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, जयपुर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य अन्य आपूर्तिकर्ता से करा सकेंगे। इसके साथ ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ली जाएगी एवं फर्म के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही संपादित की जा सकेगी।
23. सामग्री की आपूर्ति महाविद्यालय के निर्देशानुसार करनी होगी।
24. बिड़ में अंकित कार्य की मात्रा प्रतीकात्मक है उसमें कमी/वृद्धि भी की जा सकती है और विशेष परिस्थिति में नही भी खरीदा जा सकता है।
25. महाविद्यालय को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को एकाधिक फर्मों को आवंटित किए जाने का अधिकार होगा।
26. सफल बिड़दाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर, जयपुर को यह अधिकार होगा कि कार्य हेतु दिए गए आदेशों को रद्द करते हुए बिड़दाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ले।
27. बिड़दाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा राजस्थान राज्य में वर्तमान दर संविदा अवधि में बिड़ में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, विश्वविद्यालय, बोर्ड, अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को

फर्नीचर की आपूर्ति नहीं की जाएगी। इसके लिए Price fall clause प्रमाण पत्र प्रपत्र 'य' भी संलग्न करना होगा।

28. बिड़ की अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II के नियम 68 "खुली बिड़ के लिए बिड़ एवं संविदा की शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013" के अनुसार लागू होंगी।
29. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म बिड़ प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी बिड़ प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।
30. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सार भूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात्:-
  - (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।
  - (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और
  - (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभि व्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।
31. सत्य निष्ठा संहिता –उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति,-
  - (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
  - (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्य पदेशन या लोपन हीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभि प्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
  - (ग) उपापन प्रक्रिया की पार दर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए कि सीभी दुरभि संधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्तन हीं होगा।
  - (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
  - (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्ष कारको या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या



अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा परीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम को भंग या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

32. हित का विरोध –

(1) किसी उपापन संस्थाया उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उस के कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है:—

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्ति कया अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रति कूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्यवाइयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हे उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्ष कारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

181

- (ग) उन का उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदा कारको एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषय वस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाह कारके रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषय वस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

33. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण—प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

1 अपील:—(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्याधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिवस की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र -'ल') में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि



उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यक्षीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

18

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

3. अपील का प्रारूप :-

- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1)या(4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपत्र -'ल') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।
- (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
- (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथा स्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

4. अपील फाइल करने के लिए फीस -

- (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रति देय होगी।
- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

5. अपील के निपटारे की प्रक्रिया -

- (1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथा स्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रतिके साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथा स्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,-
  - (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा और
  - (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उन की प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उपनियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

34. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।



अधिष्ठाता,

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।



बिड़दाता के हस्ताक्षर मय मोहर

FINANCIAL BID FOR QUOTED ITEM (s)

S. No.	Item Description	Approx. Quantity	Rate Per Nos.	Brand/ Make	Basic Price (In Rs) for each unit including packing, freight, insurance, etc.	GST (%)	GST (In Rs)	Total amount of each unit (In Rs) (Basic price +GST) (5+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	<p><b>Mattress :-</b> Providing and placing of mattress with an overall size of 1800mm (L) X 900 (W) and 100 mm thickness. The base of the mattress to be made in polyurethane foam of premium 32 densities. The cover of the mattress to be quilted on both sides. The edges of the mattress to be sealed with a fabric tape with the help of a machine. The mattress shall have a guarantee of 5 Years against any manufacturing defect.</p>	130 Nos.						
2.	<p><b>3 Seater visiter Chair for Common Room:-</b> Providing and supplying 3 seater visitor chair with 4 arms. The seat and back shall be made up of reinforced PU foam with MS perforated sheet. The seat mounted on MS powder coated rectangular cross beam having cross-section area 60mm X 60mm with 2mm thick fitted with polypropylene end caps on both side. The arm and leg shall be made up of pressure diecast aluminium. there shall be leveller shoe provided at the bottom with metal insert. The individual seat size shall be 515±10 mm(W) X 467±10 mm(D), Back size shall be 515±10 mm(W) X 510mm±10 mm(H) from seat, Overall depth shall be 680±10 mm, overall height shall be 860±10 mm.</p>	20 Nos.						
3.	<p><b>Dining Table for Hostel :-</b> Providing and fixing of dining tables having size 1800mm (L) X 900mm (W) X 750mm (H). The under structure of the table to be made of MS Section having size 38x38mm and 2mm thick. The Frame of the table shall be supported by 4 legs and having 2 support in the middle of the top made of same section. It shall also have 2 foot rest to provide support on both the side. The top of the table shall be made of Granite having 16mm thickness with double moulding on all the sides and the moulding to be rounded edges. All the metal parts to be painted with red</p>	20 Nos.						

	oxide and then enamel paint to prevent rusting of the metal. The complete unit to be fixed on floor with the help of M8 bolt on floor.							
4.	<p><b>Executive Table :-</b>  Supplying &amp; Placing Modular table in completely knock down conditions with an overall size 1800mm X 1650mm X 750mm that is to be assembled at site. The work top shall have the size 1800mm X 900mm made up of 25mm thick Pre-laminated particle board of grade II of IS 12823 with approved laminate and finish as per approved shade. The top shall be 50mm thick on edges, after 100mm from edges it should be 25mm thick. The top profile shall be in rectangle shape and the edges shall be sealed with 2mm thick thin strip of impermeable PVC. The gable end shall be made up of 50mm thick Pre laminated particle board and profile shall be in linear shape with appropriate PVC edge banding. The table shall be clad with 18mm thick modesty panel which provide structural support for the table. It should be 18mm thick Pre-laminated particle board in linear shape with appropriate PVC edge banding connected with both end. The table shall have side unit for storage purpose with an overall size 750mm X 450mm X 750mm. Side Storage top shall be made up from 25mm thick prelam particle board and rest in 18 mm thick prelam particle board. It shall have 2 shutters. The shutter shall be operated with SS handle and easily close &amp; open with the assistance of roller channel to enable smooth operation. The shutter shall have central locking mechanism in which all the drawer shall be locked with one single lock. To protect the wall from kicks, abrasion and serve as a decorative moulding, skirting shall be provided at bottom. Laminate pedestal shall be provided with an overall size 400mm X 450mm X 680mm. Laminate pedestal shall be made up of Pre-laminated particle board of grade II of IS 12823. Pedestal side, back, top, facia shall be 18mm thick and drawer base shall be 9mm thick. The pedestal shall have 3 nos. of drawer i.e. 2 box drawer and 1 filing drawer. The drawer shall be operated with handle and channel to enable smooth operation.</p>	02 Nos.						
5.	<p><b>Reception Counter :-</b>  Providing and placing Top shall be of Prelam Particle board of 19 mm thick and edges to be sealed with PVC edgeband of 2mm thick , inside radius - 700</p>	02 Nos.						



	mm , outside radius - 1350 mm and depth - 650 mm. Glass shall be Frostered 10 mm thick diamond cut finishing on edges , inside radius shall be - 1202.5 mm , outside radius - 402.5 mm and depth - 200 mm. The Modesty Panel shall be MS Perforated sheet below worksurface : 0.8 mm (thick) x 665 mm ( height) x 1345 mm (flat length) . Above Worksurface : 0.8 mm (thick ) x 260 mm (height) x 1345 mm (flat length). The legs shall be of MS tube 1.6 mm thick diameter 50.8 mm and height 604 mm						
6.	<b>Dining Chairs for Hostel :-</b> Providing and placing of dining chairs made of PP seat and SS Legs without arms. The chair shall have an 610mm Depth, 465mm width and an overall height of 810mm.	150 Nos					
7.	<b>Visitor Chair :-</b> Supplying & Placing Visitor Chair. The seat and back shall be made of molded PU padded with high resilience polyurethane foam 40mm thick having density 40kg/m <sup>3</sup> in seat and 25mm thick having density 32kg/m <sup>3</sup> in back. The seat and back shall be upholstered with fabric tapestry 0.6mm thick. The seat and back shall be arrested together with the armrest. The frame structure shall be supported by four legs made up of MS/CRCA chrome plated pipe of size 30mmx15mm with 1.6mm thick. There shall be PPCP shoe provided at the base to avoid scratches on the floor. The seat size shall be 465±10 mm(D) X 500±10 mm(W) and back size shall be 460±10 mm(W) X 360±10 mm(H) from seat. Overall height shall be = 790±10 mm, overall depth = 560±10 mm & overall width = 550±10mm.	15 Nos.					
8.	<b>Computer Table :-</b> Overall size-1200(W) X600(D)X750(h) in mm. Table top made of 18 mm pre laminated particle board with 2mm thick PVC edge beading on all sides & base made in 18 mm pre-laminated particle board with 2mm thick PVC edge beading on all sides. 3 drawers on one side, modesty, Keyboard tray in the centre & space for files / CPU made in 18 mm prelaminated particle board with 2mm thick PVC edge beading on all sides. All the PVC edge beading should have press through 200 ° Temperature hot melt glue.	04 Nos.					
9.	<b>Central Table :-</b> Providing and fixing of Centre Table made out of solid sheesham wood. Having size 900x450x450mm. Top to be made of solid sheesham wood. Melamine polish of approved shade. Design	15 Nos.					

182



	to be made as per the approval of the committee.							
10.	<b>Guest House Single Bed :-</b> Providing and fixing of Wooden Bed made out of Solid wood (Sheesham) Sides to be made out of 9 x 2.5 cm solid wood. Fixing of Plywood of 12mm thick. The mattress size of the bed shall be 75"x35". The ply to be supported with 3 support. Design of the bed to be made as per the approval of the committee.	38 Nos.						
11.	<b>Guest House Mattress :-</b> Providing and fixing of Mattress having size of 75"x35"x5" made out of Bonded foam 75mm and one side with 25mm foam. The cover of the mattress shall be duly quilted with foam on both sides. The density of the bonded shall not be less than 80 Cu/m. Pillow of fiber having size 43x69. The mattress shall have a guarantee of 5 Years against any manufacturing defect.	38 Nos.						
12.	<b>Guest House Sofa 2 Seater for Room :-</b> Providing and fixing of sofa 3 seater. Frame to be made of pine wood, Suspension of spring and elastic niwar with 40 density foam. Fabric of approved shade. Handle to be made of solid sheesham wood as per the design approved. The exposed wooden parts to be polished with mealmine polish.	21 Nos.						
13.	<b>Guest House Wooden Study Table :-</b> one side -Storage, Number of storage unit-double storage, MATERIAL-Table Top material and thickness ±3mm, 19mm thick, Wooden Length of Table Top ±10(mm)-1200 millimeter, Height of Table Top±10(mm)-750 millimeter Table , Top Shade -As per buyer's choice	20 Nos.						
14.	<b>Guest House Study chair :-</b> Providing and fixing of bed room chair as per the design approved made of solid shesham wood. The seat and back to be fixed with cushion. The chair shall also have a handle and polished with approved shade of melamine polish. Complete with all respect.	20 Nos.						

नोट :-

1. फर्नीचर को महाविद्यालय के निर्देशानुसार कायदेशि स्थान पर ले जाकर इन्सटोलेशन करना होगा।
2. फर्नीचर इन्सटोलेशन तक की दरें उक्त दरों में सम्मिलित मानी जाएगी इसके अलावा कोई भी अन्य चार्ज देय नहीं होगा।
3. सप्लाई आदेश के स्थान पर पहुंचाना होगा एवं कुशल कारीगरो द्वारा बताये गये स्थान पर इन्सटोलेशन कर सन्तोष जनक की रिपोर्ट संलग्न करनी होगी।
4. दरें प्रति नग के हिसाब से देनी होगी।

18

5. अनुमानित मात्रा (Quantity) आवश्यकतानुसार घटाने-बढ़ाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
6. वित्तीय बिड़ में सफल निविदा दाता को आईटम (Items) का एक-एक सैंपल महाविद्यालय में उपापन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, समिति द्वारा सैंपल को दिये गये मापदण्ड एवं गुणवत्ता (Specification and Quality) की जांच कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही दर अनुमोदन आदेश/कार्यादेश दिया जावेगा।

S. No.	Item Description	Approx. Quantity	Rate Per Nos.	Brand/ Make	Basic Price (In Rs) for each unit including packing, freight, insurance, etc.	GST (%)	GST (In Rs)	Total amount of each unit (In Rs) (Basic price +GST) (5+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	<b>Water Cooler-</b> Cooling Capacity:150/Hours, At 8-24°C temperature drop:245, Storage Cabinet Capacity (Litres) :150 L, Cabinet material-SS, Rated Current (Amp) :7.5 A, Power Supply(Voltage) :230V, 50Hz, 1 Phase AC, Number of Cold Faucets :2, Power Input (Watt) :1550 W, Net weight (Kg) :70 Kg, Unit Dimensions (WxDxH) :695 mm x 545 mm x 1335 mm, Compressor : Reciprocating, Refrigerant : R-22	10 Nos.						
2.	<b>52 inch LED</b> Display Size 52 inch, Screen Type LED, Smart TV-No ,Resolution Standard Full-HD, Resolution (pixels) 1920x108, Dimensions-Width x Height x Depth (without stand),1206 mm x 738 mm x 26.4 mm, Weight (without stand), 23.5 kg, Width x Height x Depth (with stand) 1206 mm x 787 mm x 293 mm, Weight (with stand) 27.5 kg Audio features-Number of Speakers 2 Surround Sound, SRS TruSurround HD, Speaker Output RMS 20 W Power features, Power Consumption, 235 W, 0.3 W (Standby), Connectivity features, No of USB Port-3, Ethernet (RJ45) 1, Headphone Jack-1, Digital Audio Output-1, Analog Audio Input-Yes, Component In (RGB Cable)-1 Video features, Contrast Ratio, Mega Contrast (Static).	20 Nos.						



3.	<b>Double Door Referegerator -</b> Energy Efficiency-5 Star Rating, Capacity-350 litres, Freezer Capacity- 350 Litres, Installation Type- Standard , Form Factor- Standard Double Door, Special Features- Automatic Defrost, Colour- Bouquet White, Defrost System- Frost Free, Door Orientation- Double-door, Shelf Type- Toughened Glass, Certification- Energy Star.	02 Nos.							
----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

1. ईलेक्ट्रिक आईटम को महाविद्यालय के निर्देशानुसार कायदेशि स्थान पर ले जाकर इन्सटोलेशन करना होगा।
2. ईलेक्ट्रिक आईटम इन्सटोलेशन तक की दरें उक्त दरों में सम्मिलित मानी जाएगी इसके अलावा कोई भी अन्य चार्ज देय नहीं होगा।
3. सप्लाई आदेश के स्थान पर पहुंचाना होगा एवं कुशल कारीगरो द्वारा बताये गये स्थान पर इन्सटोलेशन कर सन्तोष जनक की रिपोर्ट संलग्न करनी होगी।
4. दरें प्रति नग के हिसाब से देनी होगी।
5. अनुमानित मात्रा (Quantity) आवश्यकतानुसार घटाने-बढाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।



**बिड़दाताओं द्वारा घोषणा**

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिस फर्नीचर की आपूर्ति के लिए बिड़ दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/ थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/ विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से (forfeited) कर किया जा सकेगा तथा बिड़ को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।



बिड़दाता के हस्ताक्षर मय मोहर

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ..... का विगत तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि ₹लाखों में)
1	2021-22	
2	2022-23	
3	2023-24	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

दिनांक :



अंकेक्षक/सनदी लेखाकार का  
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

**Price fall clause प्रमाण पत्र**

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि मेरे/हमारे द्वारा जिन फर्नीचर सामग्री की राजस्थान राज्य में जहाँ कहीं भी आपूर्ति की जाएगी, उस आपूर्ति में वर्तमान बिड़ की दर संविदा अवधि में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, विश्वविद्यालय, बोर्ड, अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को फर्नीचर सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाएगी और यदि कम दरों पर आपूर्ति की जाती है तो दरे स्वतः ही उस तिथि से तदनुसार ही Downward संशोधित मानी जाएगी।



बिड़दाता के हस्ताक्षर मय मोहर

बिड़दाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिस फर्नीचर सामग्रीकी जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।



बिड़दाता के हस्ताक्षर मय मोहर

**Affidavit**

(on non-judicial stamp paper of Rs. 10/-)

I..... S/o .....  
Aged..... yrs, residing at ..... Proprietor/Partner/Director of  
M/s ..... do hereby solemnly affirm and declare  
that

(a) My/our above noted enterprise M/s ..... has been  
issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the  
District Industries Center ..... The acknowledgment No.  
is .....Dated .....and has been issued  
for manufacture of following items:

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)
- (vi)

(b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum  
Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and  
that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is  
fully equipped to manufacture the above noted items.

Signature of proprietor /Director  
Authorized Signatory with Rubber  
Stamp and date

**Verification**

I..... S/o .....Aged ..... yrs residing at  
..... Proprietor / Partner/ Director of M/s ..... verify  
and confirm that the contents at (a), (b) and (c) above are true and correct to the best  
of my knowledge and nothing has been concealed there in. So help me God.



Deponent



FORM NO.1 [See rule 83 of RTPPI]

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012**

Appeal No..... of .....  
Before the ..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particular of appellant :

- (i). Name of the appellant:
- (ii). Official Address, if any:
- (iii). Residential address:

2. Name and address of the respondent (S) :

- (i). .....
- (ii). .....
- (iii). .....

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

.....  
.....  
..... (Supported by affidavit)

7. Prayer:

.....  
.....

Place ..... Date .....

.....  
Appellant's Signature



## **Annexure-1 FINANCIAL UNDERTAKING**

I/We have clearly understand all the terms and conditions of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the supply of \_\_\_\_\_ - as per specifications mentioned at annexure of the Bid document out of current seasons production at the rate quoted by me/us at the destinations specified by AUTHORITY.

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid, agreement and the \_\_\_\_\_ from time to time.

I/We will furnish the prescribed performance security amount of 2.5% on the total value of the cost of the quantity for supply, within three (3) days of the acceptance of my our Bid and enter into agreement. I/We are well aware of the forfeiture clause in the terms and conditions of the Bid and my/ our Bid security stand forfeited if I/ we fall to furnish the prescribed performance security and also enter into agreement within three (3) days of acceptance of my/our Bid and I/we will strictly abide by the terms and conditions etc. as per the agreement. In the event of non-fulfillment of contract by me/us, my/our security deposit or any amount available with the \_\_\_\_\_ is liable to be forfeited, award of supply contract stand cancelled besides blacklisting me/us.

**Authorized Signatory Name:**

**Designation:**



## Annexure-2 TECHNICAL UNDERTAKING

I/We have clearly understood all the terms and conditions of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the supply of \_\_\_\_\_ - of specified quality at the rate quoted by me/us at the destinations specified by Authority and as per the annexure of Bid document specifications prescribed by the Authority.

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid etc., and the instructions issued by the \_\_\_\_\_ - from time to time.

I am/we are enclosing the following documents as per the terms and conditions of the Bid:

1. DD/BC/BG bearing No. \_\_\_\_\_ Dt. \_\_\_\_\_ for Rs...../- {.....} Drawn on----- Bank towards Bid Cost.
2. DD/BC/BG bearing No. \_\_\_\_\_ Dt. \_\_\_\_\_ for Rs...../- {.....} Drawn on----- Bank towards RISL.
3. DD/BC/BG bearing No. \_\_\_\_\_ Dt. \_\_\_\_\_ for Rs...../- {.....} Drawn on----- Bank towards Bid security.
4. Affidavit attested by a notary to that effect that the bidder has no past or present criminal record with the Police/Vigilance of CS Deptt./ Vigilance and enforcement Dept. Govt. of Rajasthan or Govt. of any other state /Govt. of India.
5. Affidavit stating that the bidder or any of the partners or Representatives were never blacklisted from Central Government/any State Government/any Union Territory/State Agency at time or involved In diversion of stocks or involved in case under E.C. Act or Convicted by Court of Law in a criminal case.
6. Copy of the partnership deed along with permanent and present addresses of the partners in case of a Firm.
7. Copy of the Registration Certificate, if it is firm / Limited Company.
8. Copy of the Registration Certificate with GSTN.
9. Copy of the Authorised Distributer Certificate issued by OEM.
10. Copies of the Income tax returns/ Audited Accounts for last three years.
11. Copies of past performance, supply orders etc as per qualification criteria.
12. All other document as required in the qualification criteria.

I/We hereby affirm that the **Dean, SKNCOA, Jobner, Jaipur** is at liberty to take action against me/us as per the terms and conditions of Bid Document, if the above said statement proves to be wrong at any point of time.

**Authorized Signatory Name:**

**Designation:**



**ANNEXURE '3': AFFIDAVIT REGARDING COMPLIANCE TO  
TERMS & CONDITION OF BID**

**Bidder's Name:**.....

**Bid Participation for** \_\_\_\_\_

**Name of the Item for which the bid offered:** \_\_\_\_\_

I/We confirm that I/We are authorized to submit Bid on behalf of the firm participating in the Bid and have perused the entire Tender/ Bid document including all its amendments till date.

Having perused the subject Bid with all amendments (wherever applicable). I/We hereby confirm unconditional acceptance and compliance to abide by all its terms & conditions as mentioned in Tender/ Bid document including technical particulars, detailed technical specifications of the product, special terms & conditions and general terms & conditions wherever indicated, offer validity, terms of delivery without any deviations whatsoever:

- I. I/We also confirm acceptance of the all general terms & conditions of Bid document.
- II. I/We certify that the prices quoted against the Bid are competitive and without adopting any unfair / unethical means in including cartelization.
- III. I/We certified that tendering firm has not been banned by any Government Department of the State / PSU from business dealings.
- IV. I/We also certified that the information given above is factually correct, true and nothing material has been concealed.

**Authorized Signatory Name:**

**Designation:**



**ANNEXURE-4: MEMORANDUM OF APPEAL UNDER THE RTPP  
ACT, 2012**

**Appeal No ...of .....  
Before the .....(First/ Second Appellate Authority)**

1. Particulars of appellant:
  - a. Name of the appellant: <please specify>
  - b. Official address, if any: <please specify>
  - c. Residential address: <please specify>
  
2. Name and address of the respondent(s):
  - a. <please specify>
  - b. <please specify>
  - c. <please specify>
  
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

**<please specify>**
  
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative: <please specify>
  
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal: <please specify>
  
6. Grounds of appeal (supported by an affidavit): <please specify>
  
7. Prayer: <please specify>

**Place .....**

**Date .....**



**Appellant's Signature**

**ANNEXURE-5: DRAFT AGREEMENT FORMAT**

{to be mutually signed by selected bidder and procuring entity}

This Contract is made and entered into on this \_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 2024 by and between DEAN, SKNCOA, JOBNER, having its head office at SKN College of Agriculture Jobner, Jaipur-303329, Rajasthan (herein after referred to as Procuring Entity/ DEAN, SKNCOA) which term or expression, unless excluded by or repugnant to the subject or context, shall include his successors in office and assignees on ONEPART

And

M/s \_\_\_\_\_, a company registered under the Indian Companies Act, 1956 with its registered office at \_\_\_\_\_ (herein after referred as the “Successful Bidder/ Supplier”) which term or expression, unless excluded by or repugnant to the subject or context, shall include his successors in office and assignees on the OTHER PART.

Whereas, Procuring Entity is desirous of appointing an agency for <project title> as per the Scope of Work and Terms and Conditions as set forth in the BID document dated \_\_\_ of <NIB No\_>.

And whereas

M/s \_\_\_\_\_ represents that it has the necessary experience for carrying out the overall work as referred to herein and has submitted a bid and subsequent clarifications for providing the required services against said NIB and BID document issued in this regard, in accordance with the terms and conditions set forth herein and any other reasonable requirements of the Procuring Entity from time totime.

And whereas

Procuring Entity has accepted the bid of supplier and has placed the Work Order vide Letter No \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_, on which supplier has given their acceptance vide their Letter No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_.

And whereas

The supplier has deposited a sum of Rs. \_\_\_\_\_ /-(Rupees \_\_\_\_\_) in the form of \_\_\_\_\_ refno. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ Bank and valid upto \_\_\_\_\_ as security deposit for the due performance of the contract.



Now it is hereby agreed to by and between both the parties as under: -

1. The NIBRef.No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ and BID document dated \_\_\_\_\_ issued by DEAN, SKNCOA along with its enclosures/ annexures, wherever applicable, are deemed to be taken as part of this contract and are binding on both the parties executing this contract.
2. In consideration of the payment to be made by DEAN, SKNCOA to supplier at the rates set forth in the work order no. .... dated. .... will duly supply the said articles set forth in "Annexure-I: Bill of Material" thereof and provide related services in the manner set forth in the BID, along with its enclosures/ annexure and Technical Bid along with subsequent clarifications submitted by supplier.
3. The DEAN, SKNCOA do hereby agree that if supplier shall duly supply the said articles and provide related services in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions of the BID and Contract, the DEAN, SKNCOA will pay or cause to be paid to supplier, at the time and the manner set forth in the said conditions of the BID, the amount payable for each and every project milestone & deliverable. The mode of Payment will be as specified in the BID document.
4. The timelines for the prescribed Scope of Work, requirement of services and deployment of technical resources shall be effected from the date of work order i.e. \_\_\_ and completed by supplier within the period as specified in the BID document.
5. In case of extension in the delivery and/ or installation/ completion/ commissioning period is granted with full liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of the contract :-
  - a) Delay up to one fourth period of the prescribed delivery period, 2.5% successful installation & completion
  - b) Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the 5.0% prescribed delivery period, successful installation & completion
  - c) Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the 7.5% prescribed delivery period, successful installation & completion
  - d) Delay exceeding three fourth of the prescribed delivery period, 10.0% successful installation & completion

**Note:**

- I. Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies/ maintenance services shall be eliminated if it is less than half a day.
- II. The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10%.
- III. If supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurrence of any hindrances, he shall apply in writing to the authority which had placed the work order, for the same immediately on occurrence of the hindrance but not after the stipulated date of completion of supply.
- IV. Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay

*182*

- in the supply of goods in on account of hindrances beyond the control of supplier.
6. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided as per the procedure mentioned in the BID document.

**In witness where of the parties have caused this contract to be executed by their Authorized Signatories on this \_\_\_\_ day of, \_\_\_\_ 2024.**

Signed By:	Signed By:
Designation: Company:	(Authorized Signatory) DEAN, SKNCOA, JOBNER, JAIPUR
<i>In the presence of:</i>	<i>In the presence of:</i>
Designation: Company:	Designation: DEAN, SKNCOA, JOBNER, JAIPUR
Designation: Company:	Designation: DEAN, SKNCOA, JOBNER, JAIPUR





**ANNEXURE-6 : BANK GUARANTEE FORMAT – PERFORMANCE SECURITY (PBG)**

(To be stamped in accordance with Stamp Act and on a Stamp Paper purchased from Rajasthan State only and to be issued by a Nationalised/ Scheduled bank having its branch at Jaipur and payable at par at Jaipur, Rajasthan)

To,  
The Dean, SKNCOA,  
Jobner, Jaipur-303329 (Raj).

1. In consideration of the Dean, SKNCOA (hereinafter called "Procuring Entity") having agreed to exempt M/s .....(hereinafter called "the said Contractor(s)" from the demand, under the terms and conditions of an Agreement No.....dated made between the, SKNCOA through .....and..... (Contractor) for the work ..... (hereinafter called "the said Agreement") of Security Deposit for the due fulfillment by the said Contractor (s) of the terms and conditions contained in the said Agreement, on production of a Bank Guarantee for Rs.....(rupees.....only), we (indicate the name of the Bank), (hereinafter referred to as "the Bank") at the request of .....Contractor(s) do hereby undertake to pay to the DEAN an amount not exceeding Rs. .... (Rupees..... only) on demand.

2. We..... (Indicate the name of Bank), do hereby undertake to pay Rs..... (Rupees.....only), the amount due and payable under this guarantee without any demur or delay, merely on a demand from the DEAN. Any such demand made on the bank by the DEAN shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. The Bank Guarantee shall be completely at the disposal of the DEAN and We (Indicate the name of Bank), bound ourselves with all directions given by DEAN, SKNCOA regarding this Bank Guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs.....(Rupees only).

3. We .....(indicate the name of Bank), undertake to pay to the DEAN any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the contractor(s) in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal or Arbitrator etc. relating thereto, our liability under these presents being absolute, unequivocal and unconditional.



4. We.....(indicate the name of Bank) further agree that the performance guarantee herein contained shall remain in full force and effective up to <DATE> and that it shall continue to be enforceable for above specified period till all the dues of DEAN under or by virtue of the said Agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the DEAN certifies that the terms and conditions of the said Agreement have been fully and properly carried out by the said Contractor(s) and accordingly discharges this guarantee.

5. We .....(indicate the name of Bank) further agree with the DEAN that the DEAN shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Agreement or to extend time of performance by the said Contractor(s) from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the DEAN against the said Contractor(s) and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said Agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the said Contractor(s) or for any forbearance, act or omission on the part of the DEAN or any indulgence by the DEAN to the said Contractor(s) or by any such matter or thing whatsoever which would but for this provision, have effect of so relieving us.

6. The liability of us ..... (indicate the name of Bank), under this guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the contractor(s).

7. We ..... (indicate the name of Bank), lastly undertake not to revoke this guarantee except with the previous consent of the DEAN in writing.

8. This performance Guarantee shall remain valid and in full effect, until it is decided to be discharged by the DEAN. Notwithstanding anything mentioned above, our liability against this guarantee is restricted to Rs.....(Rupees..only).

9. It shall not be necessary for the DEAN to proceed against the contractor before proceeding against the Bank and the guarantee herein contained shall be enforceable against the Bank notwithstanding any security which the DEAN may have obtained or obtain from the contractor.

10. We ..... (indicate the name of Bank) verify that we have a branch at Jaipur. We undertake that this Bank Guarantee shall be payable at any of its branch at Jaipur. If the last day of expiry of Bank Guarantee happens to be a holiday of the Bank, the Bank Guarantee shall expire on the close of the next working day.

11. We hereby confirm that we have the power(s) to issue this guarantee in your favor under the memorandum and articles of Association/constitution of our bank and the undersigned is/are the recipient of authority by express delegation of power(s) and has/have full power(s) to execute this guarantee for the power of attorney issued by the bank.

Dated.....day of. .... For and on behalf of the <Bank> (indicate the Bank) Signature (Name & Designation)

Bank's Seal

The above performance Guarantee is accepted by the DEAN

For and on behalf of the DEAN

Signature (Name & Designation)



**ANNEXURE-7: UNDERTAKING ON AUTHENTICITY OF ITEMS  
TO BE PROCURED**

{To be filled by the bidder (On Rs. 100/- Non-judicial stamp paper)}

To,  
Dean,  
SKN College of Agriculture  
Jobner

Reference: NIB No.: \_\_\_\_\_ Dated: \_\_\_\_\_

This has reference to the items being supplied/ quoted to you vide bid ref.no.  
\_\_\_\_\_ dated  
\_\_\_\_\_.

We hereby undertake that all the components/ parts/ assembly/ software used in the equipment shall be genuine, original and new components /parts/ assembly/ software from respective OEMs of the products and that no refurbished/ duplicate/ second hand components/ parts/ assembly/ software are being used or shall be used. In respect of licensed operating system, we undertake that the same shall be supplied along with the authorized license certificate with our name/logo. Also, that it shall be sourced from the authorized source for use in India.

In case, we are found not complying with above at the time of delivery or during installation, for the equipment already billed, we agree to take back the equipment already supplied at our cost and return any amount paid to us by you in this regard and that you will have the right to forfeit our Performance Security Deposit and bound to deposit equal to Bid Security amount for this bid or debar/ black list us or take suitable action against us.

Authorized Signatory Name:

Designation:

